सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, गुमला।

विषयः– गुमला सदर प्रखण्ड उप – प्रमुख मो० मुस्तफा उर्फ राजन को एक साजीश के तहत एवं बदले के भावना से गलत आरोप लगाकर SC/ST थाना काण्ड सं०– 11/2022 में फंसाये जाने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरे पति मो० मुस्तफा उर्फ राजन ग्राम– टोटो, थाना वो जिला– गुमला पंचायत चुनाव 2022 के तहत टोटो पंचायत से पंचायत समीति सदस्य के रूप में चुनाव जीतने के बाद जून 2022 में गुमला सदर प्रखण्ड के उप–प्रमुख निर्वाचित हुए। तथाचुने हुए जन प्रतिनिधी होने के नाते गुमला प्रखण्ड के अंतर्गत विकाश कार्यों में हो रहे गड़बड़ी एवं बगैर कार्य पूरा हुए प्रखण्ड विकाश पदाधिकारी सुकेशनी केरकेट्टा एवं पंचायत राज पदाधिकारी सीताराम साहु को बगैर भौतिक सत्यापन किये भुगतान नहीं करने को कहा गया जो उन्हें नागवार लगा और वे लोग जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सुषमा निलम सोरेन से मिलकर उपायुक्त को गुमराह किये जिसपर उपायुक्त भी उन लोगों के बातों का विश्वास कर प्रशिक्षु I.A.S. आशिष गंगवार को जाँच का जिम्मा दे दिये। उसके बाद आशिष गंगवार एवं सुषमा नीलम सोरेन मेरे पति के विरूद्ध एक अपराधी के तरह पीछे पड़ गये और बगैर कोई नोटिस दिये या कारण पृच्छा का मांग किये लगातार कभी आधी रात को तो कभी दिन में घर पर छापामारी करने एवं पूरे परिवार को डराने धमकाने लगे। कभी घर को जे० सी० बी० मशीन से तोड़ने का तो कभी घर का समान गाड़ी वगैरह उठाकर ले जाने का धमकी देने लगे। आशीष गंगवार द्वारा मेरे घर पर किये जा रहे हुड़दंग एवं धमकी देने का मोबाईल में विडियो रिर्काडिंग है जिसे आदेशानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें SDPO मनिष चन्द्र लाल भी पुरी ताकत से उनको साथ देते रहे हैं। आशिष गंगवार द्वारा हम महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया है। जिससे मेरे पति के जान माल के साथ महिलाओं का

EJ241565648IN IVR:69742415656 भारतीय डाक
SP GUMLA HO <835207>
Counter No:2,27/12/2022,14:58
To:POLICE MAHA N,JHARKHAND SARKAR
PIN:834003, Hatia SO Ranchi
From:NAGMA FIRDOSH ,TOTO
Wt:25gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
INDIA POST

Scanned with OKEN Scanner

इज्जत का खतरा उत्पन्न होने पर मेरे पति के द्वारा सी0 जे0 एम0 साहब के न्यायालय मे धारा 39 द0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दिनांक – 01/12/2022 को आवेदन दाखिल किया गया जिसमें सुषमा निलम सोरेंग विपक्षी सं0–1, सुकेशनी केरकेट्टा विपक्षी सं0– 02, सीताराम साहु विपक्षी सं0– 03, आशिष गंगवार विपक्षी सं0– 04, SDPO मनिष चन्द्र लाल विपक्षी सं0– 05 बनाये गये हैं। आगे कहना है कि मेरा पति उप–प्रमुख चुने जाने के पूर्व भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समय–समय पर भ्रष्टाचार एवं लापरवाह तथा भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरूद्ध उच्च पदाधिकारी को शिकायत लिखते रहे हैं। इसी क्रम में सुषमा निलम सोरेन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के विरूद्ध एक दाखिल खारिज अपील वाद सं0– 09/2020–21 में भष्टाचार कर एकतरफा गलत आदेश पारित किया गया जिसके खिलाफ मेरे पति के द्वारा सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता विभाग को शिकायत आवेदन भेजा गया जिसपर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त गुमला को जाँच कर कार्यवाही का आदेश दिया गया। उसके बाद सुषमा निलम सोरेन द्वारा कई तरह का प्रलोभन दिया गया कि शिकायत वापस ले लो लेकिन जब मेरे पति नहीं माने तो SC/ST के तहत केश में फंसाने का धमकी दिया जाने लगा। वाद में उपायुक्त द्वारा एल0 आर0 डी0 सी0 के एकतरफा आदेश को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई का आदेश दिया गया है। इसी प्रकार SDPO मनिष चन्द्र लाल संभावित अपराध का सूचना के बावजूद कार्यवाही नहीं किये जाने और वाद में दो शिक्षक भाई बहन का हत्या हो जोने के संबंध में मनिष चन्द्र लाल के खिलाफ पुलिस महानिर्देशक झारखण्ड राँची को दिनांक 28/11/2020 को शिकायत आवेदन भेजा गया उसके बाद SDPO मनिष चन्द्र लाल द्वारा भी मेरे पति को धमकाया जा रहा था। जो सभी गोलबंद होकर उपायुक्त को गुमराह कर प्रशिक्षु आई0 ए0 एस0 को गलत सलाह एवं दिग– भ्रमित कर बदले के भावना से एकतरफा जाँच रिपोर्ट बनाकर मेरे पति को फंसाया गया है। जाँच रिपोर्ट में 2021 में हुए नाली निर्माण में गड़बड़ी के संबंध में कहा गया है कि मेरा पति उप–प्रमुख रहते अपने निजी रिस्तेदार को अभिकर्ता बनाकर फायदा दिया है जबकि मेरे पति उप–प्रमुख जून– 2022 में निर्वाचित हुए। इसी तरह अन्य कई आरोप लगाकर SC/ST धारा के तहत सुषमा निलम सोरेन द्वारा प्राथमिकी

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज कराया गया है जिसका जाँच का भार SDPO मनिष चन्द्र लाल को दिया गया है जो धारा 39 द0 प्र0 सं0 के तहत शिकायत आवेदन में सुषमा निलम सोरेन विपक्षी सं0 एवं SDPO मनिष चन्द्र लाल विपक्षी सं0– 05 है ऐसी स्थिति में निष्पक्ष जाँच एवं अनुसंधान का बिल्कुल संभावना नहीं है। जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध भी है। जिस जाँच रिपोर्ट को प्राथमिकी का आधार बनाया गया है वह भी नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है चूँकि मेरे पति पर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया है। साथ ही मेरे पति को एकतरफा फंसाने के उद्देश्य से आम नागरिक को योजना का भुगतान दिलाने के नाम पर हस्ताक्षर लेकर मेरे पति के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया है इसका एक प्रमाण रिषा उराँव द्वारा निष्पादित शपथ–पत्र से भी होता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपने स्तर से कार्यवाही करते हुए निष्पक्ष पदाकधारी से जाँच कराकर मेरे पति सह जन प्रतिनिधी को न्याय दिलाने का कृपा करें।

अनुलग्नकः–

1. आवेदन अन्दर दफा 39 द0 प्र0 सं0 का अभिप्रमाणित प्रति का छायाप्रति Anex के साथ।
2. उप–प्रमुख का प्रमाण पत्र।

आपका विश्वासी

Nagma Firdaus

27.12.2022

नगमा फिरदौश

पति मो0 मुस्तफा उर्फ राजन

ग्राम–टोटो, थाना वो जिला– गुमला

प्रतिलिपिः–

1. डी0 जी0 पी0 झारखण्ड राँची।

Scanned with OKEN Scanner